प्रेस विज्ञप्ति

06/12/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 6/12/2024 को अहमदाबाद और मुंबई में 7 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया और 13.5 करोड़ रुपये की नकदी के रूप में अपराध की आय (पीओसी) जब्त की। यह नकद जब्ती "नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक" (एनएएमसीओ बैंक), मालेगांव के मामले से संबंधित है।

यह मामला नासिक के मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन द्वारा दिनांक 07.11.2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 295/2024 पर आधारित है, जो नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक (एनएएमसीओ बैंक), मालेगांव, नासिक में खोले गए 14 नए खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी रकम जमा करने के संबंध में है। यह एफआईआर सिराज अहमद मोहम्मद हारुन मेमन और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिन्होंने "पीओसी की लेयरिंग करने और स्थानांतरित करने के लिए विभिन्न निर्दोष व्यक्तियों (झूठे वादों/मौद्रिक विचारों से प्राप्त) के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। ईडी द्वारा की गई जांच में यह भी पता चला कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नासिक शाखा में भी 5 ऐसे ही खाते खोले गए थे।

एनएएमसीओ बैंक में रखे गए उपरोक्त 14 खातों और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रखे गए 5 खातों से ऑनलाइन बैंकिंग चैनलों के विभिन्न तरीकों से किए गए "डेबिट लेनदेन" की ईडी द्वारा की गई मनी ट्रेल जांच से पता चला कि ऐसी अधिकांश राशि 21 एकमात्र स्वामित्व वाली संस्थाओं को हस्तांतरित की गई थी। उक्त 21 खातों के बैंक खाता विवरण के विश्लेषण से पता चला कि इन खातों में सैकड़ों करोड़ रुपये के लेनदेन जमा किए गए थे, जिनमें से अधिकांश ऑनलाइन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से थे, जिन्हें आगे विभिन्न फर्मों/कंपनियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन खातों के विवरण के आगे के विश्लेषण से यह भी पता चला कि इन खातों से सैकड़ों करोड़ रुपये की भारी मात्रा में नकदी निकाली गई थी।

ईडी की जांच से पता चला कि नागनी अकरम मोहम्मद शफी और वसीम वलीमोहम्मद भेसनिया ने विभिन्न फर्जी संस्थाओं के खातों से भारी मात्रा में नकदी निकाली और अहमदाबाद, मुंबई और सूरत में स्थित अंगड़िया/हवाला ऑपरेटरों को निकाली गई नकदी वितरित की। वे महमूद भागड़ उर्फ चैलेंजर किंग उर्फ एमडी के निर्देशानुसार काम करते थे। इन दो व्यक्तियों नागनी अकरम मोहम्मद शफी और वसीम वलीमोहम्मद भेसनिया को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले, ईडी ने नवंबर महीने में विभिन्न तिथियों पर मामले में मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और नासिक में स्थित लगभग 25 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, 5.2 करोड़ रुपये के एफडी और बैंक बैलेंस जब्त किए गए थे।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।